## <u>प्रेस नोट</u>

## <u>दिनांक- 17.07.2021</u>

## <u>गैंगस्टर में वांछित 20,000 रुपये का पुरस्कार घोषित अपराधी मान सिंह, अवैध असलहा मय कारतूस सहित थाना औरंगाबाद पुलिस द्वारा गिरफ्तार</u>

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर श्री संतोष कुमार सिंह के आदेशानुसार जनपद मे चलाये जा रहे अपराधियो के विरुद्ध अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री सुरेन्द्र नाथ तिवारी के कुशल निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर संग्राम सिंह के निकट पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक थाना औरंगाबाद श्री योगेन्द्र मलिक के नेतृत्व में आज दिनांक 17.07.2021 को थाना औरंगाबाद पुलिस टीम क्षेत्र में देख-रेख शान्ति व्यवस्था तलाश वांछित अपराधी एवं संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चैकिंग में मामूर थे कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि गैंगस्टर में वांछित एक पुरस्कार घोषित अपराधी मान सिंह बालका रोड़ पर खड़ा किसी का इंतजार कर रहा है। इस सूचना पर तत्काल थाना औरंगाबाद पुलिस टीम द्वारा मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुँचकर घेराबन्दी कर आवश्यक बल प्रयोग कर अभियुक्त मान सिंह को समय करीब प्रातः 10.20 बजे अवैध असलहा मय कारतूस सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की।

**<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-</u>**

1- मान सिंह पुत्र रम्भू सिंह निवासी ग्राम मालौ थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर।

**<u>बरामदगी का विवरण-</u>**

1- 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस

अभियुक्त मान सिंह शातिर किस्म का अपराधी है जो थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 1144/21 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में दिनांक 25.12.2020 से वांछित चल रहा था। इन अभियोग में अभियुक्त मान सिंह की गिरफ्तारी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर द्वारा 20,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। अभियुक्त मान सिंह के विरुद्ध थाना जनपद के विभिन्न थानों पर निम्न अभियोग पंजीकृत है-

**<u>अभियुक्त मान सिंह का आपराधिक इतिहास-</u>**

1- मु0अ0सं0-643/20 धारा 394/411 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।

2- मु0अ0सं0-789/20 धारा 307 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।

3- मु0अ0सं0-791/20 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।

4- मु0अ0सं0-1144/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।

5- मु0अ0सं0-1165/21 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना औरंगाबाद पर मु0अ0सं0-1165/2021 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

**<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम के नाम-</u>**

1- श्री योगेन्द्र मलिक प्रभारी निरीक्षक थाना औरंगाबाद

2- उ0नि0 रामवीर सिंह, का0 मनीश शर्मा, दुर्गेश शर्मा